By e-mail
"अत्यावश्यक"

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(क)(या)(   )डीएलबी/21/2881

जयपुर,दिनांकः 10-3-2023

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती हैः—

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक जमा कराने पर
1.	गृह कर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत् प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2022—23 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत् प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011—12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

नोटः— उक्त छूट की अवधि दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावी रहेगी एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नहीं खोला जावेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.8(क)(या)( )डीएलबी/21/2882—3410

दिनांकः 10-3-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

14. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
16. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
17. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
18. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
19. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
20. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
21. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
22. समस्त अधिकारी निदेशालय।
23. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
24. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
25. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
26. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी